पत्रांक–ज0 शि0 को0(मु0 स0)–34 / 2007 – 4844

बिहार सरकार,
जन शिकायत कोषांग,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

आर0 जे0 एम0 पिल्लै,
मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव,
पुलिस महानिदेशक,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी पुलिस अधीक्षक,
अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड।

पटना, दिनांक–28 दिसम्बर, 2007

विषयः– जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

हम सभी अवगत हैं कि जन शिकायतों की सुनवाई और उसका निष्पादन वर्तमान सरकार के सुशासन के कार्यक्रम का प्रमुख बिन्दु है। पारदर्शी प्रशासन / लोकोन्मुखी प्रशासन तथा भ्रष्टाचार मुक्त लोक सेवा उपलब्ध कराने में इसकी अहम् भूमिका है। इसी उद्देश्य से राज्य के मुख्यमंत्री स्तर से लेकर प्रशासन के निम्नतम स्तर तक इसकी सुनवाई और निष्पादन की व्यवस्था की गयी है।

यह पाया जा रहा है कि प्रशासन के कतिपय स्तरों पर इन शिकायतों पर कार्रवाई / निष्पादन को गंभीरता से नहीं लेकर उसमें शिथिलता बरती जा रही है। फलस्वरूप ऐसे पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अतः आग्रह है कि प्रथम चरण में इसकी समीक्षा की जाय की किस पदाधिकारी के स्तर पर तीन माह से अधिक से आवेदन लंबित पड़ा हुआ है और इसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है। ऐसे पदाधिकारी को चिन्हित कर उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाय और स्पष्टीकारण असंतोषजनक पाये जाने पर उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर प्रशासनिक कार्रवाई की जाय।

यह भी आग्रह है कि ऐसे पदाधिकारियों की सूची सचिव, जन शिकायत को उपलब्ध करा दिया जाय।

उपर्युक्त निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन भी सचिव, जन शिकायत कोषांग को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह० / –
(आर0 जे0 एम0 पिल्लै),
मुख्य सचिव।